

FF410765273/M

पत्रांक-3ए-2-वै०पु०-(भत्ता)-08/2013-5363/वि-

24/09/19 ⑪

डाक अनुभाग  
दायरी सं-2672  
दिनांक ११।७।१९

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- 26/06/2019

Pension  
24-7-19

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 148 प्रतिशत के स्थान पर 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-1530/वि० दिनांक-11/02/2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 148 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1/3(1)/2008-E-II(B) दिनांक-08/03/2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-

- (i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को दिनांक-01/01/2019 के प्रभाव से 148 प्रतिशत के स्थान पर 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।
- (iii) पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।
- (iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेशनरों सहित उन पेशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेशन, वार्षिक्य पेशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेशन प्राप्त है। औपर्युक्त पेशन/पारिवारिक पेशन एवं असाधारण पेशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

६. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपचारिक रूप से कर दिया जायेगा।

७. पेशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि बैकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेशन प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

८. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

हो/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-३ए-२-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- ५३६३/वि०

पटना, दिनांक:-२६/०६/२०१९

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-३ए-२-वे०पु०(भत्ता)-०८/२०१३- ५३६३/वि०

पटना, दिनांक:-२६/०६/२०१९

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

(iv) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेशनरों सहित उन पेशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेशन, वार्षिक्य पेशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेशन प्राप्त है। औपबंधिक पेशन/पारिवारिक पेशन एवं असाधारण पेशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेशन प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेशनभोगियों/पारिवारिक पेशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

हो/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:- ३ए-२-वै०पु०(भत्ता)-०८/२०१३-५३६४/वि०

पटना, दिनांक:- 26/06/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।